विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

शिक्षा का अधिकार मानव का सर्वोच्च मूल अधिकार है

'आई लव मोहम्मद', 'आई लव महादेव' आदि के बेनर्स के नारों से देश में साम्प्रदायिकता की बदबू फैल रही है। बरेली में हिंसा के बाद महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी हिंसा देखी गई है। ये घटनायें सभ्य समाज व धर्म निरपेक्ष देश के लिए बड़े खतरे का सूचक है, क्योंकि धर्म का असली मतलब शुद्ध आचरण का इन्सान बनना और बनाना है। उक्त धर्म उन्मादक नारों के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी का उद्घोष 'आई लव कॉन्स्टीट्यूशन', देश की राजनीति में तूफान की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार संविधान तोड़ रही है और वे चुप नहीं बैठेंगे अपितु दोषियों को सजा दिलायेंगे। वस्तुतः ये सारे नारे अर्थहीन हैं और राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के इरादों से किये जान पड़ते हैं।

यह प्रसंग लेखक यहाँ यह राहुल गांधी के नारे 'आई लव कॉन्स्टीट्यूशन' की ओर इस कथन के साथ कर रहा है कि भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी का शासन रहा, सभी ने संविधान की अवज्ञा की है और वह भी राजनीतिक वोटों के लालच के कारण। वस्तुतः उन्हें साहस के कहना चाहिये, उन्हें भारत के संविधान पर गर्व है। लेख के माध्यम से लेखक कई उदाहरण देकर स्पष्ट करना चहाता है कि राजनीतिक पार्टियों ने संविधान की अवज्ञा किस प्रकार की है। इस लेख का विषय 'शिक्षा के मूल अधिकार' से सम्बन्ध रखता है।

शिक्षा का मूल अधिकार

लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हमारा संविधान संसार के विधानों में श्रेष्ठ है। हमें उसकी धार्मिक ग्रन्थ गीता, कुरान, बाईबिल आदि के समान

श्रद्धा भाव से पालना करनी चाहिये और उस पर आचरण भी। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के आदर्श, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है।

शिक्षा के मूल अधिकार को हमें संविधान, मानव अधिकार व इन्टरनेशनल कॉवनेन्ट ऑन इकोनोमी, सोशल व कल्चरल राइट्स, 1966 की अन्तर्राष्ट्रीय संधि तथा लॉ कमीशन ऑफ इण्डिया की सिफारिश व माननीय सर्वोच्च न्यालया के जस्टिस कुलदीप सिंह के तथा यूनि कृष्णन, जे.पी. व टीएमए पाई के निर्णयों के संदर्भ में समझना होगा। शिक्षा प्रदान करने का पावन व प्राइम कर्त्तव्य राज्य का है और इसके बाद प्राइवेट स्कूलों की सेकण्डरी डयूटी है क्योंकि शिक्षा व्यापार न होकर चेरिटी है। प्राइवेट स्कूल तो सरकार के सहयोगी मात्र हैं, क्योंकि सरकार शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है इसलिये प्राइवेट स्कूल उनके भार को चेरिटी के हेतु ढ़ो रहे हैं।

शिक्षा का अधिकार मानव का मूल अधिकार है और वह अनुच्छेद 21 से मुखरित होता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, 21क व अनुच्छेद 45 से निस्तारित होता है और यही एक मात्र अधिकार है जो संविधान के चेप्टर दोनों में मूल अधिकार के रूप में आता है। डॉ० अम्बेडकर ने एसेम्बली में संविधान निर्माण के संबंध में घोषणा की थी कि नीति निर्देशन तत्वों को आप इलेक्शन मेनीफेस्टों के रूप में अथवा शो पीस न मानें, ये देश के भविष्य के लिये एडमिनिस्ट्रेशन के लिये आवश्यक हैं। लॉ कमीशन की सिफारिश थी कि आर्टीकल 45 का दायरा बालकों की 14 वर्ष की आयु से परे, नागरिकों के डेवेलपमेण्ट और उन्हें राज्य की आर्थिक लिमिटेशन से ऊपर ले जाना होगा। राज्य को प्रयत्न करना होगा कि वह सभी स्तर पर शिक्षा प्रदान करे।

अनुच्छेद 21ए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को अधिकार देता है और अनुच्छेद 45, 6 वर्ष तक के बालकों को। यह अधिकार भाग चार में हैं। अनुच्छेद 45 जैसा 86वें एमेंडमेण्ट से पूर्व में था उसका उद्देश्य था कि 10 वर्ष का अवधि में देश के 14 वर्ष तक के बालक आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कर ले।

टीएमए पाई के केस में सर्वाच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो प्राइवेट स्कूल, राज्य से को अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन पर राज्य का को अंकुश नहीं हो सकता। प्राइवेट शिक्षा संस्थायें फीस लगाने में स्वतंत्र हैं। फीस का मापदण्ड अच्छी व अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर और अच्छे स्तर की शिक्षा का है। प्राइवेट स्कूल 10 प्रतिशत तक फीस से आय का लाभ अर्जित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एम.ए. पा फाउण्डेशन के केस के निर्णय में यह माना कि शिक्षण संस्था की स्थापना के हेतु दो अधिकारों की आवश्यकता है प्रथम स्कूल में भर्ती का अधिकार और दूसरी उचित फीस का ढाँचा। इसके हेतु 4 सिद्धान्त को आधार माना - (1) शिक्षा व्यापार नहीं है, अपितु चेरिटी का सिद्धान्त पर आधारित है, (2) संस्था की स्वायत्ता, (3) स्वयं आगे आकर अपने विवेक से कार्य, (4) सहयोग का सिद्धान्त। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी निर्णयों में इसे स्वीकार किया है कि बिना प्राइवेट स्कूल की साझेदारी के शिक्षा के इस अधिकार की सत्यता को साकारता नहीं दी जा सकती।

वर्तमान समय में आर्थिक आधार पर आर्थिक अभाव की बात करना बेमानी है। राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा संस्थायें अधिनियम, 1989 के समय तथा सन 2011-12 तक राज्य सरकार 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक वेतन व खर्चे के अनुसार 12वीं कक्षा तक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दे रही थी। स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक थी। इसलिए नीति निदेशक तत्वों के चेप्टर में अर्थ के अभाव की बात इन परिस्थितियों में बेमानी है। चूंकि शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार है और मानव अधिकार का क्रियान्वयन कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। राजस्थान में फ्री शिक्षा का अधिकार 12वीं कक्षा तक के बालकों को प्राप्त हो चुका है। यों शिक्षा अधिनियम, 2009 लागू होने के साथ ही शिक्षा अधिनियम 1989 रिपिल (समाप्त) हो चुका है।

हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख करता है। डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित युनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने सन् 1948 में शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता की बात की थी। कमीशन ने स्पष्ट किया था कि शिक्षा के विकास व विस्तार के हेतु स्टेट का नियंत्रण नहीं रहना चाहिये। ऊँची शिक्षा देना राज्य का कर्त्तव्य व जिम्मेदारी है। स्टेट कन्ट्रोल व स्टेट अनुदान दोनों अलग-अलग है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज् की सफलता का एक मात्र कारण यह रहा है कि वे राज्य के बन्धन से स्वतंत्र रही थी और इस हेतु उन्हें कानून का संरक्षण था। हमारे विद्यालय भी निःसन्देह सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिये। ब्रिटेन के स्कूलों का जो सम्मान बढ़ा है उन्होंने जो यश प्राप्त किया है वह इसी कारण हुआ है प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को सरकारी बन्धन से मुक्त रखा गया है।

संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट निर्देश राज्यों को दिये थे कि वे 14 वर्ष के बालकों को संविधान के लागू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देंगे; किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

मान्यता देने के हेतु किसी भी प्रकार की फीस लेने का को भी प्रावधान न तो 1989 के अधिनियम में है और न 2009 के शिक्षा अधिनियम में ही है। यह भी निर्विवाद कानूनी सिद्धान्त है कि फीस की वसूली व उसके नियंत्रण का कानून सरकार बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकती। संविधान का अनुच्छेद 265 स्पष्ट है। मान्यता की फीस अथवा कोई भी आरक्षण राशि निजी संस्थाओं से एक्जीक्यूटिव निर्देशन के आधार पर नहीं ली जा सकती। यों जब शिक्षा निःशुल्क है तो फीस क्यों? सरकार की इस बाबत जारी की गई विज्ञप्तियाँ प्रत्यक्षतः अवैध हैं।

मान्यता शिक्षा की गुणवत्ता के हेतु है, उसे किसी अन्य प्रतिबंध से नहीं जोड़ा जा सकता। टीएमए पाई के केस में यह स्पष्ट निर्देश है।

संविधान में शिक्षा के अधिकार के विषय में अनुच्छेद 45 में संशोधन कर पूर्ववर्ती अनुच्छेद के स्थान पर वर्तमान अनुच्छेद 45, संविधान छियासीवे (86वें) संशोधन अधिनियम, 2002 से दिनांक 01.04.2010 से लागू किया गया और इसी छियासीवे (86वें) संविधान अधिनियम 2002 से दिनांक 01.04.2010 से एक नया अनुच्छेद 21क जोड़ा गया। कृपया ध्यान देवें इस प्रकार अनुच्छेद 45 संशोधन कर तथा अनुच्छेद 21क जोड़कर 6 वर्ष के करोडों बालकों का शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। पूर्ववर्ती अनुच्छेद 45 में जहाँ यह व्यवस्था थी कि संविधान लागू होने के समय से अर्थात् 26.1.1950 से 10 वर्ष की अवधि में यानी 25.1.1960 तक 14 वर्ष के बालकों को 8वीं कक्षा तक की शिक्षा आवश्यक और अनिवार्य दी जानी थी, उसे न दिये जाने के पाप पर पर्दा डाल दिया गया, और 6 वर्ष से कम की आयु के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित कर दिया। क्या कल्याणकारी राज्य का यह कदम प्रगतिवादी कहा जा सकता है, उत्तर होगा नहीं। यह कदम कर्त्तव्य पथ से पीछे जाने का है। निराशाजनक है। जैसा ऊपर कहा गया है सभी क्षेत्रों में शिक्षा देने का दायित्व राज्य का हैऔर शिक्षा मूल (मौलिक) अधिकार है। धन का अभाव है यह कहना 75 साल की आजादी के बाद भारत देश की शान के विपरीत है। नीति निदेशक तत्व प्रवर्तनकारी हैं। वर्तमान में मानव अधिकार, नीति निदेशक सिद्धान्त व मूल अधिकार में कोई भेद नहीं है। ये सभी मानव अधिकार के प्रारूप हैं।

संसद ने शिक्षा के अधिकार के अधिनियम, 2009 को पारित किया और लागू किया, इसे आरटीई के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकारों ने अपने-2 राज्य में नियम बनाये। आरटीई अधिनियम, 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों पर लागू होता है। इसमें व्यवस्था दी गई है प्रथम क्लास में इन बालकों को शिक्षा हेतु प्रवेश दिया जावेगा। अर्थात् 6 वर्ष पूरे होने पर वह प्रथम कक्षा में शिक्षा हेतु दाखिला लेगा। छः वर्ष से कम आयु के बालकों के हेतु राज्यों ने नये स्कूल खोलने की कोई व्यवस्था नहीं की। किन्तु यह व्यवस्था की कि प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत क्लास की केपेसिटी की सीटों पर सामाजिक व आर्थिक तथा अशक्त बालकों को पहली क्लास में दाखिला दिया जावेगा। बाद में इस व्यवस्था में यह स्पष्ट किया गया कि प्राइवेट स्कूल 25 प्रतिशत तक की सीटों पर अपने-2 स्कूलों में बालकों को पहली क्लास में प्रवेश देने के स्थान पर स्कूल की शिक्षा की प्रारम्भिक शिक्षा की क्लास में शिक्षा दिला सकते हैं, यह एक प्रशासनिक आदेश था। पहली क्लास शिक्षा दी जाने की व्यवस्था शिक्षा के अधिनियम 2009 में है, उसमें प्रशासनिक आदेश से संसोधन नहीं किया जा सकता है अतः राज्य सरकार का आदेश अवैध है शून्य है और प्रभावहीन है। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में 3 वर्ष पूरे करने पर नर्सरी में प्रवेश दिया जाता है, इसके बाद एलकेजी व यूकेजी क्लासेज होती हैं। राज्य ने समय-2 पर प्रवेश के द्वारा नर्सरी व प्रथम क्लास माना बाद में 25 प्रतिशत सीटों के बाबत एन्ट्री नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी व प्रथम क्लास भी कर दी। विवाद कोर्ट में पहुँचा वहाँ केवल एन्ट्री नर्सरी व प्रथम क्लास दोनों को ही माना गया। खंडपीठ में अपील (रिट) की गई और स्थगन आदेश से अभी प्रवेश की एन्ट्री वही रहेगी, जिसे एकल पीठ ने माना है। आर टी ई अधिनियम, 2009 के अनुसार 25 प्रतिशत सीटों के विद्यार्थी बालकों की शिक्षा का खर्चा राज्य सरकार बर्दाश्त करेंगी और इस हेतु राज्य सरकार अपने स्कूल में प्रति बालक पर खर्च होने तक की राशि का भुगतान प्राइवेट स्कूल को करेंगे। एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य सरकार प्राईवेट स्कूलों को फीस के खर्चे का भुगतान करेगी। राज्य का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक एक किलोमीटर पर स्कूल निर्मित करेगा किन्तु इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी का कन्सेप्ट वहाँ नहीं है। राज्य के स्कूलों की बिल्डिंग, नियमानुसार नहीं है और न वहाँ खेल के मैदान ही हैं।संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट निर्देश राज्यों को दिये थे कि वे 14 वर्ष के बालकों को संविधान के लागू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देंगे; किन्तु ऐसा नहीं हुआ परिणाम यह है कि आज भी हमारे अधिकांश सांसदों व विधायकों को जो कानून बनाते हैं, उन्हें कानून बनाने का पर्यात ज्ञान नहीं है कई तो आठवीं कक्षा तक भी नहीं पढ़े हैं। इसका परिणाम है हमारे कई कानून न्याय की तराजू पर फेल हो जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। बालकों की शिक्षा की इस दशा को केवल उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय की परमादेश (Mandamus) रिट् के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। साथ ही प्रशासनीय आदेशों के विषय में प्रतिषेध (Prohibition) अधिकार पृच्छा (quo warranto) की रिट निकाल कर उन्हें अवैध घोषित किये जावे।

शिक्षा किसी भी स्तर की हो उसे प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है।

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

हम जो सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं-उसी से सब तय होता है...

कुमार अजय

हम की परिभाषा कभी थोड़ी संकुचित हो सकती है और कभी थोड़ी विस्तृत। जब यह संकुचित हो तो व्यक्ति खुद उसमें शामिल हो सकता है और इसे विस्तृत करें तो परिवार, परिवेश, दोस्तों और पीढ़ियों को इसमें शामिल कर सकते हैं लेकिन कड़वा, मीठा जैसा भी है- सच यही है कि हम अपना किया भुगतते हैं। माथे चाहे नसीब के मढ़ो या मालिक के। मालिक यूं अच्छा है। फेल हुए तो कर दिया मालिक की मर्जी के नाम तो सारी गिल्टी जाती रही। सफल हुए तो मालिक को श्रेय दिया, सारा घमंड जाता रहा। जिम्मेदारी का बोझ कुछ तो हल्का हुआ। मर लेते वरना इस बोझ को ढो-ढोकर। सच यही है कि सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं, उसी को भुगतते हैं। उसी से सब तय होता है। मालिक भी उसी से तय हुआ है। इसलिए वह अस्तित्वहीन होकर भी अस्तित्व में है। संभवतः मालिक एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं लेकिन एक विचार से ज्यादा कुछ हो भी क्या सकता है।

पढाई अंतिम या एकमात्र सत्य नहीं फिर भी जाने क्यों, जब प्रतिभावान और उर्जावान युवा गिव अप करते हैं तो बड़ा दुख होता है। यह वो समय नहीं जब आपको घर के हालात में पढ़ाई छोड़नी पड़े। हमारी पीढ़ी या हमसे पहले वालों को पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अब सामान्य शिक्षा निःशुल्क जैसी है और जितना खर्चा है, उसे घरवाले उठा ही लेते हैं। घरवाले नहीं उठा पाएं तो सरकारी योजनाओं के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लिए भार उठाने को तैयार मिलते हैं। शर्त केवल यही कि आप खुद तो मेहनत का भार उठाने को तैयार हों। बहुत सारे युवा मेहनत या भीड़ से घबराकर हार मान रहे हैं। पत्थरों को निचोड़कर पानी कर देने की उम्र और यह निराशा! देखकर मन खराब होता है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं। बच्चों को लगता है कि कंपीटिशन बहुत है या उन्हें लगता है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। हो भी सकता है कि नौकरी मुश्किल है लेकिन एक स्तर तक पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। एक गरीब, जरूरतमंद और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई से बेहतर और कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता। आप कितने भी कमजोर हों, यदि पढ़ाई में मजबूत हैं तो फिर आप कमजोर नहीं है। यह बात आपको समझनी ही चाहिए। कमजोरी में तो और धुंआधार खेलने की जरूरत है। हार मानने से क्या होगा। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होगी।

लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दुख तो है लेकिन कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से सब निश्चित है। पढ़ाई छोड़कर हलवाई की दुकान पर काम करते बच्चे का यह कहना बहुत निराश करता है। मैं उसे कहता हूं कि प्रेमानंद जी जो कहते हैं, वह चालीस-पचास की उम्र के बाद सुन और मान लेना। फिलहाल किसी खूसट बूढ़े के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। जमकर मेहनत करो और आगे बढ़ो। जितना कर सकते हो, कर लो। जब सक्षम हो जाओ तो संतों के बताए मार्ग पर चल लेना। अपनी कमाई परोपकार में लगा देना लेकिन इन बातों में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेना कहां की समझदारी है। लड़के को मेरी बात तो शायद ही समझ आएगी लेकिन वह अपने प्रिय संत को खूसट बूढ़ा कहने पर मजा आ गया।

अपने संघर्ष पर बात करते हुए वह मेरे संघर्ष पर सवाल करता है। किसी को मेरा संघर्ष भले ही ज्यादा लगे, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि हम से बहुत-बहुत कठोर परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं और हमसे बहुत बेहतर भी कर रहे हैं। और संघर्ष चीज भी बहुत प्यारी है। संघर्ष के दिनों में जैसे सच्चे लोग आपको मिलते हैं, वैसे सच्चे लोग सफल दिनों में जुड़ना संभव नहीं। हां, सबके सहयोग के बावजूद आपको अपने हिस्से का युद्ध तो लड़ना ही होगा। आप लड़ेंगे तो ही औरों का सहयोग मिलेगा। सबके सहयोग के बाद भी बहुत सारे ऐसे दिन आए कि चने खाकर, एक-दो रुपए के केले खरीदकर पेट भर लिया। बहुत बार, थोड़ी देर और-थोड़ी देर और करके दोपहर गुजार दी और जब दोपहर गुजर गई तो सोचा, अब शाम को ही खा लेंगे- एक टाइम के खाने से काम चल जाएगा।

संघर्ष के दिनों की अच्छी बात थी कि सपने हमेशा जिंदा रहे। भविष्य हमेशा ऊजळा दिखा। हमेशा लगा कि कुछ बेहतर होना बाकी है। कुछ न कुछ अच्छा कर लेंगे। वास्तव में तो संघर्ष आदमी के निर्माण की प्रक्रिया है। निर्माण की प्रक्रिया में टूटे भी, लेकिन उतना ही जितना निर्माण के लिए जरूरी हो। कोई रात भारी भी हुई तो रोकर हल्की कर ली। सुबह मुंह धोकर, आंखें पौंछकर फिर आगे बढ़े। कभी किसी ने हमदर्दी जताई तो भी रोना आ गया। एक फिल्म में कहीं सुना था कि-जो दर्द से नहीं टूटते, वह हमदर्दी से टूट जाते हैं लेकिन ज्यादा टूटने न दिया खुद को। और जिंदगी को जितना सोचा था, उससे बेहतर ही पाया। वाकई जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अवसर हर किसी की जिंदगी में आते ही हैं। बस जागते रहो, सपने देखो और मेहनत करो।

प्रिय का बिछोह क्या होता है, बिछड़ने वाले जानते हैं लेकिन साथ छूट जाने से फूटे हुए आंसू एक दिन गुम हो जाते हैं। इधर, किसी के साथ ने जिन्हें रूलाया है, वे जानते हैं कि विरह का गम कोई गम ही नहीं है। रोजमर्रा में अखबारों में छपी घटनाएं इसी बात की ताईद करती हैं। बहुत जगहों पर- हम एक-दूसरे के लिए कम, एक-दूसरे से अधिक दुखी है, हालांकि इस गम की क्या दवा हो सकती है। हम अपना स्पेस रखें, दूसरे को उसका स्पेस दें। रिश्तों में लिबरल रहें। सामने वाले की भी सुनें। उसे भी समझें और दिल आ जाए तो कभी-कभी प्यार भी करें।

–कुमार अजय
उपनिदेशक, सूचना एंव जनसंपर्क विभाग।

उच्च शिक्षा: दशा, दिशा और दुर्दशा

अशोक कुमार

उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मस्तिष्क और रीढ़ होती है। यह केवल डिग्री या उपाधियाँ प्रदान करने का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला है। शिक्षा की दशा (वर्तमान स्थिति), दिशा (भविष्य की रणनीति), और दुर्दशा (गंभीर कमियाँ) पर गहन दुःख व्यक्त करना पूरी तरह उचित है भारत, जिसके पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, आज एक दोराहे पर खड़ा है- जहाँ एक ओर परिवर्तन की दिशा स्पष्ट है, वहीं दूसरी ओर प्रणालीगत चुनौतियों की दुर्दशा बनी हुई है, जो इसकी वर्तमान दशा को जटिल बनाती है।

वर्तमान दशा: विस्तार की उपलब्धि और गुणवत्ता की चुनौती

भारत की उच्च शिक्षा ने पिछले कुछ दशकों में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने में सराहनीय प्रगति की है, जो वर्तमान में लगभग 28.4ङ तक पहुँच गया है (2021-22 के आंकड़ों के अनुसार)। महिलाओं का नामांकन भी बढ़ा है, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एऊर्श्) क्षेत्रों में। इस विस्तार के साथ देश में लगभग 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय और 40,000 से अधिक कॉलेज मौजूद हैं।

लेकिन दुर्दशा यहाँ से शुरू होती है:-

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली तेजी से विस्तार के बावजूद गुणवत्तापरक गिरावट का सामना कर रही है। लगभग 30ङ विश्वविद्यालय और कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जो ङ्क्षे 2020 के उल्लंघन को दर्शाता है। कई शिक्षण संस्थान केवल लाभ कमाने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे शिक्षण और शोध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। योग्य संकाय की कमी भी एक गंभीर समस्या है, जहां कई पद वर्षों से रिक्त हैं, और नियुक्ति प्रक्रियाएं जटिल तथा कम पारिश्रमिक की वजह से प्रतिभाशाली शिक्षकों की कमी हो रही है।

असंतुलित गुणवत्ता: उच्च शिक्षा संस्थानों की एक पिरामिडनुमा संरचना है। शीर्ष पर कुछ गिने-चुने उत्कृष्टता केंद्र हैं, जिनकी वैश्विक पहचान है। वहीं, व्यापक आधार पर मौजूद अधिकांश संस्थान बुनियादी सुविधाओं, योग्य शिक्षकों और अद्यतन पाठ्यक्रम की कमी से जूझ रहे हैं।

शिक्षकों का संकट: उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक-छात्र अनुपात वैश्विक मानकों (1:10) से बहुत कम है, कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30ङ तक शिक्षण पद रिक्त हैं। योग्य शिक्षकों का बेहतर वेतन और अवसरों के लिए पलायन (ँग्ह ग्रेंह) एक बड़ी समस्या है।

अनुसंधान की कमी: उच्च शिक्षा का मूल उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। हालांकि, भारत में शोध के लिए धन वैश्विक मानकों से काफी कम है। अधिकांश शोध कार्य केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित रह जाते हैं, जिनका उद्योग या समाज पर कोई ठोस प्रभाव नहीं होता।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के लिए एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी दिशा प्रस्तुत करती है। इसका लक्ष्य 2035 तक ुईं को 50ङ तक ले जाना और पूरे सिस्टम को पुनर्जीवित करना है। इसकी मुख्य दिशाएँ निम्नलिखित हैं:-

समग्र और बहु-विषयक शिक्षा: यह कला, विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बीच की कठोर सीमाओं को समाप्त करती है। यह छात्रों को अपनी रुचि के विषय चुनने की लचीलापन प्रदान करती है, जिससे ज्ञान का संकीर्ण दायरा टूटता है और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है।

एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्प : (श्लूग्ज्त हैंबेंर्ग) यह छात्रों को पाठ्यक्रम के बीच में पढ़ाई छोड़ने और बाद में फिर से जुड़ने की सुविधा देती है। इससे पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को अपनी शिक्षा का मूल्य मिलता है और लचीलापन बढ़ता है।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन : अनुसंधान और नवाचार को एक राष्ट्रीय ढाँचा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण शोध को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है।

संस्थागत स्वायत्तता और विनियमन: नीति उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता देने पर जोर देती है, जबकि उनके विनियमन के लिए एक एकल नियामक निकाय (पुपे्र्ल्मिूदह ण्दस्म्गेदह दं घ्हर्ग - ण्गिंघ) बनाने की बात करती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

दुर्दशा के मुख्य कारक और चुनौतियाँ

ङ्क्षे की स्पष्ट दिशा के बावजूद, उच्च शिक्षा की दुर्दशा के मूल कारण अभी भी व्याप्त हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती:

राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक अपारदर्शिता: कई विश्वविद्यालयों के प्रशासन में राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप उच्च शिक्षण संस्थानों की शैक्षिणक स्वतंत्रता को बाधित करता है।

रोजगारपरकता का संकट: हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह उद्योग की मांग के अनुरूप कुशल स्नातक तैयार नहीं कर पा रही है। उद्देश्यविहीन डिग्री के कारण शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी की विकट समस्या बनी हुई है।

कोचिंग संस्कृति का प्रदूषण: उच्च शिक्षा के प्रवेश और नौकरियों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने कोचिंग सेंटरों की एक समानांतर 'शैडो एजुकेशन' अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यह संस्कृति छात्रों को वास्तविक ज्ञान से दूर कर केवल परीक्षा-केंद्रित रटंत पर मजबूर करती है।

अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश: शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6ङ खर्च करने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अपर्याप्त फंडिंग के कारण बुनियादी ढांचे, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और डिजिटल संसाधनों की कमी बनी हुई है।

क्षेत्रीय असमानता: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता शहरों के संस्थानों की तुलना में बहुत कमज़ोर है, जिससे समानता और समावेशन का लक्ष्य प्रभावित होता है।

निष्कर्ष: दुर्दशा से दिशा की ओर

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली एक विशालकाय जहाज की तरह है जिसे नए बंदरगाह की ओर मुड़ना है। ङ्क्षे 2020 इस जहाज की नई दिशा है, जो ज्ञान, कौशल और मूल्यों के त्रिवेणी संगम पर आधारित है।

वर्तमान दशा में विस्तार तो हुआ है, पर गुणवत्ता की दुर्दशा अभी भी गहराती खाई है। इस खाई को पाटने के लिए केवल नीति नहीं, बल्कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वजनिक निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि, और शिक्षक समुदाय के सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

यदि हम अनुसंधान, स्वायत्तता और रोज़गारपरकता को उच्च शिक्षा का मूल मंत्र बना लें, और ङ्क्षे 2020 को उसके वास्तविक विज़न के साथ लागू करें, तभी भारत सही मायने में वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने का अपना सपना साकार कर सकता है। यह समय डिग्री केंद्रित शिक्षा से कौशल और चरित्र केंद्रित शिक्षा की ओर निर्णायक बदलाव का है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, कानपुर एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय।

रावण का अट्टहास

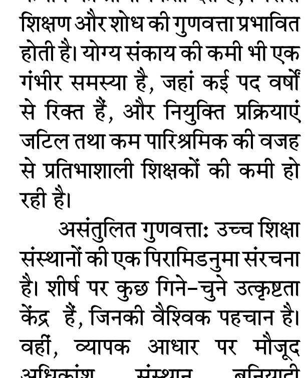

उमा व्यास

आज मैंने देखा सुबह से,
मेरे लोहे के कबाड़ से बने ढाँचे को।
खड़ा करके उसमें भरा जा रहा है कुछ विस्फोटक,
ताकि मैं जल जाऊं जड़ से और समाज में बुराइयों को भी जला जाऊं।।
तभी मेरे दशानन, दस दिशाओं में झांक के देख रहे हैं कौन है जिसमें मैं नहीं हूँ,
क्या उनको जलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा।
क्योंकि जिस ऊँचाई पे मुझे खड़ा किया गया है,
वहां से मैं देख सकता हूँ,
कितने रावण और कुंभकर्ण इसी भीड़ का हिस्सा बनके मुझे धुंआ होते देखना चाहते हैं।।
पर विभीषण ने किया था कर्त्तव्यपूर्ण,
राम हित में, प्रजा हित में और देशहित में।
पर कितने ऐसे देश को बेचने को आतुर भी यहीं मेरे सामने खड़े हैं,
कलुषित मन से न जाने कितनी सीताओं को अपहृत करने के इरादे से अड़े हैं।।
तभी मैं अपने चिर परिचित अंदाज में हंस पड़ता हूँ,
कितने रावण पैदा हो गए हैं।
इतने विकराल स्वरूप तो मेरे दसमौलि में भी नहीं,
इतने घातक हथियार तो मेरी बीस भुजाओं में भी नहीं।।
पर लगता है मनुष्य परपीड़क है,
वह मुझे जलता हुआ देखकर प्रसन्न होगा।
और मैं उसे देखकर स्तब्ध कि सही मायने में आज जरूरत है इस देश को राम की,
आज मैं स्वयं राम का आव्हान करता हूँ, तुम्हारी मूर्खता पे अट्टहास करता हूँ,
और मैं स्वयं राम के आदर्श का हृदय से पालन करता हूँ।।
मुझे तो तुमने हर वर्ष जला जला के, मेरे मन के रावण का तो कर दिया है वध।
पर तुमने उसी अंशों को खुद में कर लिया है उत्पन्न,
जिस दिन उसको कर सको भस्म,
तब यह अनुभूति करना कि तुमने दस शीशों को हरा के दशहरा मना लिया है।।
और तुम सबसे यह अरदास करता हूँ,
कि अगली बार जब तुम मुझे खूंटे के सहारे बांध के खड़ा करो,
तब देखना कि 'उमा' तुमने स्वयं में रचे-बसे रावण को मारा है
या तुम आ गई हो प्रतीकात्मक रावण जलाने,
राम की जगह मन में मुझे बसाने।।

–उमा व्यास,
काव्य रचनाकार कोटा।

राशिफल शुक्रवार 3 अक्टूबर, 2025

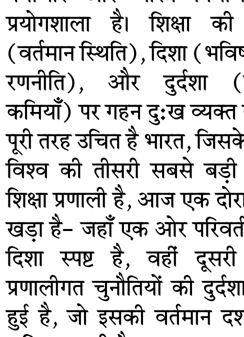

पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, श्रवण नक्षत्र प्रातः 9:34 तक, धृति योग रात्रि 9:46 तक, वणिज करण प्रातः 6:52 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरू-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिदि और कुमार योग सूर्योदय से प्रातः 9:14 तक है। रवियोग दिन 9:34 तक है। राजयोग सायं 6:34 से सूर्योदय तक है। भद्रा प्रातः 6:52 से सायं 6:34 तक रहेगी। आज पापाकुशा एकादशी व्रत है। पंचक रात्रि 9:28 से आरम्भ होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 7:52 तक, लाभ-अमृत 7:52 से 10:48 तक, शुभ 12:16 से 3:44 तक, चर 4:40 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:08

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

तुला
परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है, महत्वपूर्ण परामर्श मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

धनु
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मीन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।